

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
<b>प्राककथन</b>	--	<b>v</b>
<b>कार्यकारी सारांश</b>	--	<b>vii-viii</b>
<b>अध्याय-I: प्रस्तावना</b>	--	<b>1-7</b>
प्रस्तावना	1.1	1
वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम	1.2	1-2
संगठनात्मक ढांचा	1.3	2-4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	4
लेखापरीक्षा कसौटियाँ	1.5	4-5
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि	1.6	5-6
क्षेत्र परिसीमा	1.7	6
वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी के लिये योजनाएँ	1.8	6-7
<b>अध्याय-II: वृक्षारोपण गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन</b>	--	<b>9-25</b>
प्रस्तावना	2.1	9
2016–17 से 2021–22 के दौरान राज्य में वृक्षारोपण की स्थिति	2.2	9-10
लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	10
वनीकरण का नियोजन एवं प्रबन्धन	2.4	10-11
कार्य योजनाओं की प्रस्तुति में विलम्ब	2.5	11
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना नहीं तैयार किया जाना	2.6	11-12
कार्य योजना के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना	2.7	12
कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण	2.7.1	12-13
टीक (सागौन) का वृक्षारोपण	2.7.2	13-14
बांस का वृक्षारोपण	2.7.3	14
राज्य में अभिलिखित वन आवरण में कमी	2.8	14-15
वानिकी क्षेत्र को पर्याप्त बजट का आवंटन न होना	2.9	15-16
वन संरक्षण कोष नहीं बनाया जाना	2.10	16
वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक	2.11	17
वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग	2.12	17-19
गौण खनिज पट्टा धारकों द्वारा अनिवार्य वृक्षारोपण न किया जाना	2.13	19
नरसरी की क्षमता से अधिक पौधे उगाना	2.14	20
वृक्षारोपण कार्यों हेतु उच्च दरों पर भुगतान	2.15	21
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण	2.16	21

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया	2.17	21-22
पौधों की अधिक मृत्यु दर के कारण निष्फल व्यय	2.18	22-23
वृक्षारोपण के रखरखाव का प्रावधान न करना	2.19	23-24
समूहों / व्यक्तियों को पौधों का अप्रलेखित वितरण	2.20	24
निष्कर्ष	--	24-25
<b>अध्याय-III: प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत वृक्षारोपण</b>	--	<b>27-37</b>
प्रस्तावना	3.1	27
प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत व्यय	3.2	27-28
सीए वृक्षारोपण के लिए अवनत वन भूमि की त्रुटिपूर्ण पहचान	3.3	28-29
सीए चार्जेज की कम वसूली	3.4	29-30
लागत वृद्धि का प्रावधान कम / नहीं होना	3.5	30
कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएटी) चार्जेज वसूलने एवं सीएटी योजना लागू करने में विफलता	3.6	30-31
निजी उद्यमियों का बिना वन अनुमति के कार्य करना	3.7	31-32
स्टेज I अनुमोदन की शर्तों को पूर्ण किए बिना बांध का निर्माण	3.8	32-33
प्रतिपूरक वनीकरण के वृक्षारोपण कार्य पर सेंटेज चार्जेज आरोपित न किया जाना	3.9	33-34
सरकारी खाते में सेंटेज चार्जेज जमा करने में विफलता	3.10	34-35
प्रयोक्ता एजेंसियों पर एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि आरोपित नहीं किया जाना	3.11	35
पट्टा समझौतों का पंजीकृत नहीं किया जाना तथा प्रयोक्ता एजेंसियों से भूमि प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूला नहीं / कम वसूला जाना	3.12	36
निष्कर्ष	--	37
<b>अध्याय-IV: अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र</b>	--	<b>39-51</b>
प्रस्तावना	4.1	39
वृक्षारोपण का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुरक्षण	4.2	39-40
सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में कमियाँ	4.3	40
ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपर्याप्त डाटा बेस अपलोड किया जाना	4.4 – 4.4.2	40-43
वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली की अपर्याप्तता	4.5	43
आरक्षित वन ब्लॉकों में कुल उपलब्ध क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण	4.6	43-44
प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत विफल वृक्षारोपण	4.7	45-46

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) द्वारा वृक्षारोपण गतिविधियों के अनुश्रवण में कमी	4.8	46-47
आंतरिक नियंत्रण तंत्र	4.9	47
आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया जाना	4.9.1	47
वन भूमि का अतिक्रमण	4.10	47-48
प्रभागीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त क्षेत्रीय निरीक्षण	4.11	48-49
वृक्षारोपण कार्य के विरुद्ध भुगतान	4.12	49-50
राज्य कैम्पा द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का न तैयार करना एवं विधानमण्डल में नहीं रखा जाना	4.13	50-51
निष्कर्ष	-	51

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
कार्य योजनाओं को प्रेषित करने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण	2.1	53-54
कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.2	55
टीक (सागौन) वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.3	56
बांस के वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.4	57
वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि में सम्मिलित सीए वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.5	58
गौण खनिज पट्टाधारकों द्वारा न किये गये अनिवार्य वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	2.6	59
नर्सरियों की क्षमता से अधिक उगाए गए पौधों को दर्शाने वाला विवरण	2.7	60
वृक्षारोपण कार्यों हेतु उच्च दरों पर भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	2.8	61
पौधों की अधिक मृत्यु दर के कारण निष्कल व्यय को दर्शाने वाला विवरण	2.9	62
अनुरक्षण के प्रावधानों के बिना वृक्षारोपण के प्रावक्कलन को दर्शाने वाला विवरण	2.10	63-65
प्रतिपूरक वनीकरण चार्जेज की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण	3.1	66
प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण के लिए कम आरोपण को दर्शाने वाला विवरण	3.2	67
प्रतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए लागत वृद्धि की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण	3.3	68
पहुंच मार्ग के लिए बिना वन अनुमति के परिचालन करने वाले निजी उद्यमियों को दर्शाने वाला विवरण	3.4	69
सेंटेज चार्जेज नहीं लगाए जाने को दर्शाने वाला विवरण	3.5	70

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
प्रयोक्ता एजेंसियों पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की न लगाई गई अतिरिक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण	3.6	71
गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपर्वतन हेतु पंजीकृत नहीं हुए पट्टा समझौता और नहीं/कम चार्ज किये गये भूमि प्रीमियम एवं पट्टा किराये को दर्शाने वाला विवरण	3.7	72
वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली की अपर्याप्तता को दर्शाने वाला विवरण	4.1	73-74
आरक्षित वन ब्लॉकों में उपलब्ध कुल क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण को दर्शाने वाला विवरण	4.2	75
वन भूमि पर अतिक्रमण को दर्शाने वाला विवरण	4.3	76